

Ref.No. NB.CPD.GLC./ 55968 /GLC corres/ 2025-26

9th July 2025

To,
The Convenor, SLBC/UTLBC
All States/UTs

Madam/ Dear Sir,

Ground Level Credit Target for Agriculture for 2025-26

The Department of Financial Services, MOF, GoI vide their letter F.No. 12/3/2022-AC dated 3rd July 2025 (Annexure-I) has allocated the Agency-wise and Purpose-wise Agriculture Credit target for the year 2025-26, as given below:

(Rs. crore)

Agency	Total Working Capital/ Crop Loan	Term Loan	Total
Commercial Banks	11,91,500	12,30,500	24,22,000
Cooperative Banks	3,07,500	63,000	3,70,500
Regional Rural Banks	3,51,000	1,06,500	4,57,500
Total	18,50,000	14,00,000	32,50,000

2. The Region-wise allocation of Agriculture Credit target made by GoI as well as the disaggregated State-wise, broad Sector-wise and Agency-wise targets are given in Annexure-II.

3. In order to ensure increased credit flow to Animal Husbandry, Dairy and Fisheries, a target of Rs.5,00,000 crore for Animal Husbandry, Dairy and Fisheries is fixed within the overall target of Rs.32,50,000 crore. Details of activity-wise break-up of Rs.5,00,000 crore is as under :

(Rs. crore)

Sr. No.	Activity	Working Capital Target	Term Loan Target	Total Target
1	Dairy	83,000	1,42,000	2,25,000
2	Poultry	30,000	15,000	45,000
3	Sheep, Goat, Piggery	55,000	62,000	1,17,000
4	Animal Husbandry - Others	18,000	20,000	38,000
5	Fisheries	52,000	23,000	75,000
	Total	2,38,000	2,62,000	5,00,000

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

National Bank for Agriculture and Rural Development

कॉर्पोरेट आयोजना विभाग

लॉट क्र सी-24, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. टेली: +91 22 2653 0106 • फ़ैक्स: +91 22 2653 0096 • ई मेल: cpd@nabard.org

Corporate Planning Department

Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 • Tel.: +91 22 2653 0106 • Fax: +91 22 2653 0096 • E-mail: cpd@nabard.org

: 2 :

4. We request you to provide Bank-wise targets for Allied activities in your respective States, for proper monitoring of ground level credit disbursed and for formulating targeted policies.


5. A separate target of Rs.10,000 crore for e-NWR pledge financing has been fixed within the overall Agriculture Credit target of Rs.32,50,000 crore. Details of the agency-wise Target for e-NWR pledge financing is given below:

e-NWR Pledge Financing (Rs. crore)			
Cooperative Banks	Regional Rural Banks	Commercial Banks	Total
1,000	1,500	7,500	10,000

6. We request you to ensure that the ACP targets are invariably higher or commensurate with the target allocated by GoI for the State. Further, the allocations made to the respective States are not the upper ceiling for credit disbursement to the Agriculture sector. Banks must, therefore, endeavour to achieve higher disbursements.

7. As the Region/ State/ Bank-wise achievements against these targets are reviewed by NABARD on a quarterly basis, we request you to take appropriate measures for capturing the Bank-wise and category-wise achievements.

Yours faithfully



(S R Panda)
General Manager

Encl.: Annexure I & II

संदर्भ सं. राबैं.सीपीडी.जीएलसी/ 55968 / जीएलसी कोर्रेस/2025-26

09 जुलाई 2025

संयोजक,

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) / संघ राज्य क्षेत्र स्तरीय बैंकर्स समिति (UTLBC),

सभी राज्य / संघ राज्य क्षेत्र

महोदया/प्रिय महोदय

कृषि के लिए आधार स्तरीय ऋण (जीएलसी) लक्ष्य 2025-26

वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र F.No 12/3/2022-एसी दिनांक 3 जुलाई 2025 (अनुलग्नक-I) के माध्यम से वर्ष 2024-25 के लिए एजेंसी-वार और उद्देश्य-वार कृषि ऋण लक्ष्य निम्नानुसार आवंटित किए हैं।

(रु. करोड़)

एजेंसी	कुल कार्यशील पूंजी/फसल ऋण	मियादी ऋण	कुल
वाणिज्यिक बैंक	11,91,500	12,30,500	24,22,000
सहकारी बैंक	3,07,500	63,000	3,70,500
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	3,51,000	1,06,500	4,57,500
कुल	18,50,000	14,00,000	32,50,000

2. भारत सरकार द्वारा निर्धारित कृषि ऋण लक्ष्य का क्षेत्र-वार आवंटन, साथ ही राज्य-वार, विस्तृत क्षेत्र-वार और एजेंसी-वार लक्ष्यों की जानकारी अनुलग्नक II में दी गई है।

3. पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन में ऋण प्रवाह को बढ़ाने के उद्देश्य से, कुल ₹32,50,000 करोड़ के कृषि ऋण लक्ष्य के अंतर्गत ₹5,00,000 करोड़ का लक्ष्य विशेष रूप से पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन आदि के लिए निर्धारित किया गया है। ₹5,00,000 करोड़ के गतिविधि-वार लक्ष्य का विवरण निम्नलिखित है:

(रु. करोड़)				
क्रम सं	गतिविधि	कार्यशील पूंजी लक्ष्य	मियादी ऋण लक्ष्य	कुल लक्ष्य
1	डेयरी	83,000	1,42,000	2,25,000
2	कुक्कुट पालन	30,000	15,000	45,000
3	भेड़, बकरी एवं सूअर पालन	55,000	62,000	1,17,000
4	पशुपालन - अन्य	18,000	20,000	38,000
5	मत्स्य पालन	52,000	23,000	75,000
	कुल	2,38,000	2,62,000	5,00,000

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

National Bank for Agriculture and Rural Development

कॉर्पोरेट आयोजना विभाग

प्लॉट क्र सी-24, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. टेली: +91 22 2653 0106 • फ़ैक्स: +91 22 2653 0096 • ई मेल: cpd@nabard.org

Corporate Planning Department

Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 • Tel.: +91 22 2653 0106 • Fax: +91 22 2653 0096 • E-mail: cpd@nabard.org

:2:

4. हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अपने-अपने राज्यों में सहवर्ती गतिविधियों हेतु बैंक-वार लक्ष्य उपलब्ध कराएं, ताकि जमीनी स्तर पर वितरित किए गए ऋण की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित की जा सके तथा लक्षित नीतियों के निर्माण में सहायता मिल सके


5. कृषि ऋण लक्ष्य के समग्र लक्ष्य ₹32,50,000 करोड़ के अंतर्गत, ई-एनडब्ल्यूआर (e-NWR) वित्तपोषण के लिए ₹10,000 करोड़ का एक अलग लक्ष्य निर्धारित किया गया है। एजेंसी-वार ई-एनडब्ल्यूआर वित्तपोषण लक्ष्य का विवरण नीचे दिया गया है: (₹. करोड़)

ई-एनडब्ल्यूआर (e-NWR pledge financing)			
सहकारी बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	वाणिज्यिक बैंक	कुल
1,000	1,500	7,500	10,000

6. हम आपसे अनुरोध करते हैं कि एसीपी (वार्षिक ऋण योजना) लक्ष्य भारत सरकार द्वारा राज्य के लिए आवंटित लक्ष्य से अधिक या उसके अनुरूप ही निर्धारित किए जाएं। साथ ही, राज्यों को किए गए आवंटन कृषि क्षेत्र में ऋण वितरण की अधिकतम सीमा नहीं हैं। अतः बैंकों को चाहिए कि वे उच्चतर ऋण वितरण प्राप्त करने का प्रयास करें।

7. चूंकि, इन लक्ष्यों के विरुद्ध क्षेत्र/राज्य/बैंक-वार प्रगति की समीक्षा नाबार्ड द्वारा त्रैमासिक आधार पर की जाती है, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि बैंक-वार और श्रेणी-वार उपलब्धियों को दर्ज करने हेतु उपयुक्त उपाय किए जाएं।

भवदीय


(एस आर पंडा)
महाप्रबंधक

संलग्नक: अनुलग्नक I और II